

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रभावित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ



पत्र सं०-

1 सप्तमो अगस्त 2015

दिनांक-

कार्यालय आदेश

वर्तमान में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में सड़कों का कार्य मुख्य अभियन्ता के कार्यालय आदेश संख्या-3282/एम-4 दिनांक 26.7.2005 द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टियों के आधार पर कराया जा रहा है। उक्त इंगित विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराये जाने पर भी लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना एवं परिषद की अन्य योजनाओं की सड़कों में विभिन्न कमियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत सड़क निर्माण की विशिष्टियों एवं क्रियान्वयन में कुछ संशोधन किये जाने आवश्यक प्रतीत हो रहे हैं। सड़कों की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार लाने हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के पत्र संख्या-3192 दिनांक 22.9.2014 द्वारा एक तकनीकी समिति गठित की गयी। समिति द्वारा प्रचलित सड़क की विशिष्टियों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं जो (परिशिष्ट-1) पर संलग्न हैं।

अतः एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में सड़क बनाने हेतु परिशिष्ट-1 में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नवत् कार्यवाही भी की जानी है-

- परिषद में विभिन्न चौड़ाई की सड़कों हेतु पूर्व में स्वीकृत कास सेक्शन में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः सड़कें पूर्व में ही अनुमोदित कास सेक्शन के अनुसार निर्मित की जाये।
- परिषद की योजनाओं में सड़कों के निर्माण हेतु सबग्रेड के सी०बी०आर० की जांच एवं उसकी वैल्यू के आधार पर डिजाइन तैयार कर कस्ट की मोटाई रखी जाये। परिषद की योजनाओं में प्रति 25 एकड़ अथवा भाग पर एक सी०बी०आर० टेस्ट तथा न्यूनतम 2 टेस्ट कराये जाने आवश्यक होंगे। यदि सी०बी०आर० टेस्ट वैल्यू में 25 प्रतिशत से अधिक विचलन पाया जाता है तो संबंधित अधिशासी अभियन्ता के प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक संख्या में अधिक टेस्ट कराये जायें। परीक्षण से प्राप्त सी०बी०आर० के आधार पर आई०आर०सी० 37:2013 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार सड़कों की डिजाइन कराकर सड़क निर्मित की जाये। बिटुमिन कार्य में प्रयोग किये जाने वाले बाइन्डर की विशिष्टियों आई०आर०सी० द्वारा वर्ष 2013 में निर्गत नवीनतम MORT&H की विशिष्टियों के टेबिल संख्या 500-1 में दिये गये प्राविधान जो निम्नवत् रखे जायें-

Lowest Daily Mean Air Temperature, °C	Highest Daily Mean Air Temperature, °C		
	Less than 20°C	20 to 30°C	More than 30°C
More than -10°C	VG-10	VG-20	VG-30
-10°C or lower	VG-10	VG-10	VG-20

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से प्राइमिंग हेतु एस०एस० ग्रेड इमल्सन, टैक कोट हेतु VG-10 एवं अन्य कार्यों हेतु VG-30 ग्रेड बिटुमिन को प्रयोग किया जाये। सड़क निर्माण कार्य के विभिन्न सड़कों जैसे बी०एम०/बी०सी०/एस०डी०बी०सी०/डी०बी०एम०/जी०एस०बी०/डब्लूएम०एम० इत्यादि का कार्य मोर्थ एवं आई०आर०सी० में प्राविधानित विशिष्टियों के अनुरूप मिक्स डिजाइन कराने के उपरान्त ही तदानुसार सम्पादित कराये जायें।

- मुख्य अभियन्ता(मध्य क्षेत्र) के पत्र संख्या-104 दिनांक 28.2.13 परिशिष्ट-2 में इंगित फील्ड परीक्षण परिणामों की पृष्ठभूमि में सड़क निर्माण से पूर्व मिट्टी में 2 प्रतिशत लाइम मिलाते हुये स्टेब्लाइजेशन कराया जाये एवं काम्पैक्शन के उपरान्त फील्ड डेन्सिटी एम०डी०डी० के सापेक्ष 98 प्रतिशत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार 2 प्रतिशत लाइम मिलाने के उपरान्त भी

आवश्यक सी0बी0आर0 वैल्यू नहीं प्राप्त होने पर स्वायत्त स्टेब्लाइजेशन के अन्य तरीकों का प्रयोग किया जाये।

4. समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर परिषद की योजनाओं में अच्छी बसावट के काफी पूर्व सड़कों का निर्माण करा दिया जाता है, जिसके कारण वांछित बसावट होने से पूर्व ही निर्माण के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे आवंटियों के आने पर योजना का स्वरूप आकर्षक एवं वांछित गुणवत्ता का नहीं लगता। इस संदर्भ में परिषद की संचालित की जाने वाली योजनाओं में एक मुख्य ट्रैफिक मार्ग संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा चिन्हित किया जायेगा एवं उपरोक्त मार्ग का पूर्ण निर्माण प्राविधानित विशिष्टियों के अनुसार प्रथम चरण में ही कराया जाये। इस सड़क पर योजना की लोकप्रियता एवं आकर्षण के दृष्टिगत उचित अन्तराल पर वियरिंग कोट डालते हुये उसे अच्छी अवस्था में रखा जाये। शेष सड़कों पर कस्ट लेइंग के उपरान्त पूर्ण बिटुमिनस कार्य के कराने के स्थान पर प्रारम्भ में मात्र एक कोट सरफेस ड्रेसिंग ही करायी जाये। इन सड़कों पर बिटुमिनस कार्य विशिष्टियों के अनुसार क्षेत्र विशेष में सम्पत्तियों के आवंटन हो जाने के उपरान्त आवंटियों के प्रदेशन लेने के समय कराये जाये। विभिन्न सड़कों पर प्रत्येक 4 वर्ष के उपरान्त नया वेयरिंग कोट डाले जाने का प्राविधान किया जाये तदानुसार भूमि मूल्यांकन/सड़क के आगणन में भी प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
5. सड़क के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु फील्ड स्तर पर और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से सड़कों के निर्माण के समय फील्ड में डेन्सिटी आदि का परीक्षण किया जाना प्रचलन में नहीं है। इस संदर्भ में सड़क निर्माण के समय फील्ड में काम्पैक्शन के उपरान्त सबग्रेड के साथ-साथ बेस एवं सबबेस स्तर पर IS:2720 (Part 8) के अनुसार डेन्सिटी परीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। परीक्षित फील्ड डेन्सिटी एम0डी0डी0(मैक्सिमम ड्राई डेन्सिटी) के सापेक्ष न्यूनतम 98 प्रतिशत डेन्सिटी पाये जाने पर ही आगे का निर्माण कराया जाये। उक्तानुसार डेन्सिटी प्राप्त करने हेतु काम्पैक्शन के समय किसी भी एक लेयर की मोटाई 150 एम0एम0 से अधिक नहीं होनी चाहिये इससे अधिक मोटाई होने पर 2 अथवा उससे अधिक आवश्यक लेयर में काम्पैक्शन कराया जायेगा। फील्ड में उक्त परीक्षणों के दृष्टिगत 2 करोड़ लागत तक के सड़क कार्य हेतु गठित अनुबन्धों के विरुद्ध फील्ड में आवश्यकतानुसार फील्ड काम्पैक्शन टेस्ट हेतु आवश्यक उपकरण अनुबन्धकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्थापित फील्ड लैब में उपलब्ध कराये जाये। 2 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा सड़क निर्माण के विभिन्न स्तरों पर डेन्सिटी, सामग्री आदि की टेस्टिंग हेतु आवश्यक सभी उपकरण रखते हुये फील्ड लैब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा जिसकी लागत कार्य में सम्मिलित मानी जायेगी। इस आशय का प्राविधान निविदा प्रपत्रों में भी करना आवश्यक होगा।
6. सड़क निर्माण के दौरान प्रत्येक स्तर से लैटरल कन्फाइन्मेंट के लिये उस स्तर पर पहले से सोल्डर काम्पैक्शन कर बाक्स बनाते हुये रोड का निर्माण किया जाये।
7. परिषद योजना के अन्तर्गत लोकल स्ट्रीट/कलेक्टिंग स्ट्रीट न्यूनतम 2 एम0एस0ए0 के लिये परिकल्पित की जाये।
8. उक्त के अतिरिक्त फील्ड स्तर पर कार्य सम्पादन के समय वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित टेस्ट के सम्पादन कड़ाई से सुनिश्चित किये जायें। यह आदेश नयी सड़कों हेतु तत्काल से प्रभावी होंगे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(आर0के0 अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता


पत्रांक / 296 | 3er-1

दिनांक


21.1.2015


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—


1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/वित्त नियंत्रक महोदय के उनके अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक (ग्लोबल सेल)/निदेशक (गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक।



मुख्य अभियन्ता


Particulars	45 Mtr. Wide Road		30 Mtr. Wide Road	
	Approved Provisions	Proposed Revisions	Approved Provisions	Proposed Revisions
Screening Material	Local earth of appropriate P.I. in soling & inter coat and crushable type screening in top coat.	Only Crushible type screening material as per MORT & H specifications shall be used.	Local earth of appropriate P.I. in soling & inter coat and crushable type screening in top coat.	Only Crushible type screening material as per MORT & H specifications shall be used.
Bituminous surface course	<u>First Phase-</u> 50mm thick B.M. as per MORT & H specification + 25mm thick S.D.B.C. as per MORT & H specification. <u>Second Phase-</u> 25mm thick S.D.B.C. as per MORT & H specification at the time of handing over (resurfacing)	<u>First Phase-</u> 50mm thick DBM as per MORT & H specification + 30mm thick B.C as per MORT & H specification. <u>Second Phase-</u> 30mm B.C. as per MORT & H specification at the time of handing over.	<u>First Phase-</u> 50mm thick B.M. as per MORT & H specification + 25mm thick S.D.B.C. as per MORT & H specification. <u>Second Phase-</u> 25mm thick S.D.B.C. as per MORT & H specification at the time of handing over (resurfacing)	<u>First Phase-</u> 50mm thick DBM as per MORT & H specification + 30mm thick B.C as per MORT & H specification. <u>Second Phase-</u> 30mm B.C. as per MORT & H specification at the time of handing over.
Shoulder Pavement	0.53M wide brick pavement on side of each carriageway	80mm thick 30mpa Rubber moulded interlocking tiles upto the drain over 50mm local sand bed on side of each carriageway.	0.30M wide brick pavement on side of each carriageway	80mm thick 30mpa Rubber moulded interlocking tiles upto the drain over 50mm local sand bed on side of each carriageway.
Road marking /signage & others Appurtenances		To be provided as per MORT & H specifications.		To be provided as per MORT & H specifications.



(Dan Bahadur Yadav)
A.E.



(Vineet Singh)
Director(MDC)


(V.B. Singh)
E.E.
CD-13, Lucknow


(U.C. Singh)
E.E.
CD-11, Lucknow



(A.K. Shukla)
J.D. (C)
G.C.C.


(K.A. Singhal)
Director
Q.C & Design


(V.N. Dikshit)
SE
Circle-I

U.P AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
(SPECIFICATION OF ROADS)

Particulars	18/15 Mtr. Wide Road		12/9/7.50 Mtr. Wide Road	
	Approved Provisions	Proposed Revisions	Approved Provisions	Proposed Revisions
Carriageway	7.0 M (For 18.00M wide road) or 5.50 M (For 15.00M wide road)	Same	3.50M wide carriageway	Same
Service Lane	-	---do---	-	---do---
Central Verge/ Median	-	---do---	-	---do---
Drain	-	---do---	-	---do---
A-Main Drain	-	---do---	-	---do---
Trapezoidal/ Rectangular	Along edge of road	---do---	-	---do---
B-Secondary Drain	-	---do---	-	---do---
Trapezoidal/ Rectangular	Along property side of service lane	---do---	Along property side of service lane	---do---
Road Crust Structure	-	---do---	-	---do---
Soling coat	45-90mm stone ballast 12cm loose compacted to 9.0 cm.	To be provided as per design	45-90mm stone ballast 10cm loose compacted to 7.5 cm.	Flexible/Rigid paven as per design accor to final approval.
Infer Coat	45-63mm stone ballast 10cm loose compacted to 7.5 cm.		45-63mm stone ballast 10cm loose compacted to 7.5 cm.	
Top Coat	22.4-53mm stone ballast 10cm loose compacted to 7.5 cm.		22.4-53mm stone ballast 8cm loose compacted to 6.0 cm.	






उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ



क्रम संख्या... 416
 दिनांक... 4 May
 प्राप्ति संख्या... 04

पत्र सं०-

/ एम-4 / 2017

दिनांक

कार्यालय आदेश

परिषद योजनाओं में सड़कों के निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता के कार्यालय आदेश सं०-296/सड़कों की विशिष्टियाँ/2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा सड़कों की विशिष्टियाँ निर्धारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, मुख्यालय के पत्रांक-533/सड़कों की विशिष्टियाँ/2017 दिनांक 22.02.2017 के अनुपालन में दिनांक 01.03.2017 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विचार-विमर्श के उपरान्त पूर्व निर्गत विशिष्टियों में संशोधन किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (म०) के कार्यालय आदेश सं०-617/एम-4/2017 दिनांक 06.03.2017 द्वारा एक समिति गठित की गयी। समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव एवं संस्तुति के आधार पर परिषद योजनाओं में सड़कों के निर्माण हेतु पूर्व निर्गत विशिष्टियों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

- 1- परिषद योजनाओं में प्रस्तावित 12.00 मी०/9.00 मी०/7.50 मी० चौड़ी आन्तरिक सड़कों का निर्माण परिषद द्वारा पूर्व निर्गत विशिष्टियों के अनुसार आई०आर०सी० : 37-2013 के आधार पर 2 एम०एस०ए० ट्रैफिक लोड हेतु पेवमेन्ट की डिजाइन के अनुसार कराया जाय तथा बिटूमिनस कार्य के अन्तर्गत पूर्व निर्गत विशिष्टियों में प्राविधानित 25एम.एम. मिक्स सील सर्फर्सिंग के स्थान पर इन सड़कों को टिकाऊ बनाने हेतु प्रथम चरण में न्यूनतम 40एम.एम. बी०एम० एवं 25एम.एम.एस०डी०बी०सी० का प्राविधान किया जाय तथा द्वितीय चरण में 25एम.एम.एस०डी०बी०सी० की एक कोट सेवाओं के हस्तान्तरण के समय करायी जायेगी।
- 2- परिषद योजनाओं में प्रस्तावित 12.00 मी० चौड़ी सड़क की केरिज-वे की चौड़ाई 3.50 मी० के स्थान पर 4.50 मी० रखी जायेगी तथा 12.00 मी० चौड़ी सड़क में केरिज-वे के दोनों ओर सोल्डर पेवमेन्ट के अन्तर्गत रबर मोल्डेड इण्टरलाकिंग टाइल्स की चौड़ाई 0.30 मी० पूर्व की भाँति ही रखी जायेगी।
- 3- शेष सड़कों के कार्य की विशिष्टियाँ पूर्ववत् रहेंगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(म० सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

पृ०सं०

685 / उक्त /

दिनांक 10.3.2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आयुक्त एवं सचिव/वित्त नियंत्रक महोदय को उनके अवलोकनार्थ।
- 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक (ग्लोबल सेल)/निदेशक (गुण नियंत्रक एवं परिकल्पना), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- 2- समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।

All AES
 10/3
 JES

मुख्य अभियन्ता 10/3/17